

Stamp  
 12  
 594  
 125  
 41  
 आदेश पत्र

न्यायालय श्री कै० गिरि, प्रमाण पत्र पदाधिकारी, धनवाड

12-9-93

प्रमाण पत्र नु० सं०-451/93-84  
 मेनेजर भारतीय स्टेट बैंक राधा.....

चिकरी... मे श्री महालाल सुरसु  
 पिता-जुहु सुरसु.....ग्राम श्रीनिवासपुर (पुष्पक)

गाँव-छलिफपुर धनवाड से -4516-88 रुपये की

तसुली हेतु अधिनियम पत्र द्वारा किया है। इसमें  
 संलग्न वितरण के आलोकन से स्पष्ट होता है कि  
 यह माँग तसुली योग्य है। इसकी तसुली विधि  
 वर्जित नहीं है। लोक माँग तसुली अधिनियम की  
 धारा 5 के अन्तर्गत में संकट हूँ। इसे वंजी 10 में  
 दर्ज करें। अधिनियम अधिकाधिक पदाधिकारी द्वारा  
 कोर्ट फीस दाखिल करने हेतु आदेश है। दाखिल  
 नहीं किया गया है। कोर्टफीस दाखिल करने के बाद  
 धारा 7 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र देपदार के विरुद्ध सूझा  
 सूचना-निर्गत करें। दिनांक-...12-5-94....  
 को प्रस्तुत करें।

4.9.84

4  
 प्रमाण पत्र पदा०  
 धनवाड।

12-5-94 आभ्याची पदा० द्वारा 585-00 रुपये का कोर्ट  
 की दाखिल किया गया दिनांक श्री धारा 4  
 के अन्तर्गत सूचना जारी करें एवं दिनांक  
 को प्रस्तुत करें। 4

1126  
 16-5-94

प्रमाण पत्र पदा०

12-2-5-96

धारा 7 के अन्तर्गत निर्गत कोर्टिब अताकिया  
 प्रतिपदन प्राप्ति दिनांक से तसुली की कोई सूचना  
 नहीं दी पत्रा का आदेश सूचना करें। आदेश  
 को करें।

प्रमाण पत्र पदा०

9.6.86

अभिलेख उपस्थापित,  
भाग-7 का लालीला प्राप्त  
है, देनदार के विरुद्ध लेखापत्री  
नोटिस का आदेश प्राप्त किया है,  
दिनांक 9.2.86 को रखे।

अ. अ. अ. अ.

2/10  
162  
9/6  
1/16  
20/8

9.7.86

अभिलेख उपस्थापित,  
देनदार अनुपस्थित  
है, भाग का क्रिया-बन्धन प्रसिद्ध  
अप्राप्त है।  
दिनांक 12.8.86 को रखे।

अ. अ. अ.

26.8.86

अभिलेख उपस्थापित,  
देनदार उपस्थित हुए  
आस्था प्रबन्धक ~~विशेष~~ सिद्ध  
अनुपस्थित है। इस विषय सम्झौता  
नहीं हो सका।

अ. अ. अ.

28.8.86

अभिलेख उपस्थापित,  
देनदार उपस्थित हो कर  
सब आदेशन पत्र देवे हुए लिखा है कि  
वे कुल्य राशि 4576-88 बैंक में जमा करना  
चाहता है। अतः प्रमाण के निवेदन है  
कि 4576-88 अभिलेखित राशि अक्षर  
लेख के लिए प्रबन्धक की निवेदन है।  
देनदार का आवेदन को देखा  
अभिलेखित राशि जमा लेख के लिए प्रबन्धक  
प्रबन्धक 4576-88 बैंक को लिखे।

15/11/2020

कमिसेन (इलाहाबाद) द्वारा केंद्र के  
मास्टर के कक्षागत तालिम का केंद्र के  
द्वारा कक्षागत तालिम का प्रारंभ किया गया है,  
कमिसेन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत।

कमिसेन कक्षागत  
तालिम